न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 4/2015 ई.रे. दिनांक 23.09.2025

1— तेजसिंह पिता माधूसिंह राजपूत निवासी जवान सिंह जी का खेडा तहसील बडीसादडी
— प्रार्थी

बनाम

1— करणसिंह पिता माधूसिंह राजपूत निवासी जवान सिंह जी का खेडा, तहसील बडीसादडी
2— लक्ष्मणसिंह पिता माधूसिंह राजपूत निवासी जवान सिंह जी का खेडा, तहसील बडीसादडी
3— गुलाबसिंह पिता माधूसिंह राजपूत निवासी जवानसिंह जी का खेडा, तहसील बडीसादडी
4— शंकरसिंह पिता गोतमसिंह जी राजपूत निवासी जवान सिंह का खेडा तहसील बडीसादडी
5— भुरकुंवर पत्नि गोतमसिंह राजपूत निवासी जवान सिंह जी का खेडा, तहसील बडीसादडी
6— केसरसिंह पिता नाथूसिंह जी राजपूत निवासी जवानसिंह का खेडा, तहसील बडीसादडी
7— लाडकुंवर पत्नि उदयसिंह राजपूत निवासी जवानसिंह का खेडा, तहसील बडीसादडी
8— शंकरकुंवर पत्नि गुलाबसिंह राजपूत निवासी जवानसिंह जी का खेडा, तहसील बडीसादडी
9— भूमिधारी जरिये तहसीलदार बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री डी.के. वैष्णव वकील प्रार्थी
श्री जी.एस. झाला वकील विपक्षी 1 से 5

—:: आदेश ::—

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. प्रार्थी ने उक्त उनवान का वाद श्रीमान के न्यायालय में विरूद्ध विपक्षीगण के वास्ते बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारीत होने से निश्चित ही प्रार्थी के हक में निर्णित होगा किन्तु प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है इसलिये यह प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।
2. मौजा उंठेल मजरा जवानसिंह जी का खेडा तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 743 रकबा 2.65 हैक्टेयर स्थित होकर प्रार्थी एवं दीगर खातेदारान शामलाती के खातेदारी में दर्ज है ।
3. प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1,3,5,7 व 8 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है इसलिये वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा विपक्षीगण नम्बर 1,3 व 5 का शामलाती 3/10 हक हिस्सा तथा विपक्षीगण नं. 7 एवं 8 प्रत्येक का 1/10 हक व हिस्सा है इसी अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपने अपने हक हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिये वादग्रस्त आराजी का उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार बंटवारा करवाया जाकर नामांतरण की फाटनी भी कराई जावे एवं आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगण के अलग अलग खातों में अंकित कराई जावे।
4. वादग्रस्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है तथा विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय करने पर अमादा है तथा विपक्षीगण प्रार्थी के 1/2 हक व हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा मौके पर निर्माण कार्य करने के लिये निर्माण सामग्री भी डाल रखी है एवं विपक्षी केसरसिंह मौके पर नींव खोद कर निर्माण कार्य करने पर अमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के 1/2 हिस्से की आराजी पर जबरन निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

कार्य नहीं करें न करावें न प्रार्थी के कब्जे काश्त में जबरन दखलअंदाजी करें न करावें तथा प्रार्थी को अपने 1/2 हक हिस्से पर शांती पूर्णक काबिज रहनें दें व आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करें न करावें।

5. प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं होते हुए भी एवं बिना आवासीय रूपान्तरण के विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन निर्माण कार्य करने पर अमादा है एवं प्रार्थी 1/2 हक हिस्से में जबरन दखलअंदाजी कर कब्जा करने पर अमादा है यदि विपक्षीगण को जरिय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना निरर्थक हो जावेगा इसलिये अपूर्णिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के 1/2 हक हिस्से में जबरन दखलअंदाजी नही करें न करावें न निर्माण कार्य करें न करावें न ही आराजीयात को खुर्द बुर्द करें न करावें तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवें।

उपरोक्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी कंमाक एक लगायत पांच श्रीकरण सिंह पिता माधूसिंह लक्ष्मणसिंह पिता माधुसिंह गुलाबसिंह पिता माधुसिंह शंकर सिंह पिता गौतमसिंह निवासी जवानसिंह जी का खेडा तहसील बडीसादडी की और से निम्न प्रकार हैं।

1. प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर एक में वर्णित तथ्य में प्रार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने के तथ्य सही होकर स्वीकार है। उक्त वाद पत्र मिथ्या व गलत तथ्यो पर प्रस्तुत होने से निश्चित ही खारिज होगा।
2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित तथ्य में मौजा उठेल तहसील बडीसादडी की आराजी संख्या 743 रकबा 2.65 हैक्टयेर होकर प्रार्थी व विपक्षीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज होने के तथ्य सही होकर स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन में वर्णित तथ्य में आराजी प्रार्थी व विपक्षीगण के सामलाती खातेदारी में दर्ज होने के तथ्य सही होकर स्वीकार है। परन्तु उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा होने के तथ्य गलत होकर अस्वीकार है उक्त आराजीयात माधुसिंह जी की पुश्तैनी होकर विरासत से प्रार्थी व विपक्षीगण को प्राप्त हुई हैं जिसमें प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा होकर माधुसिंह जी के वारीसान गौतमसिंह गुलाबसिंह नाथुसिंह लक्ष्मणसिंह व करणसिंह जी का भी हक हिस्सा होकर शेष आराजी पर विपक्षगीण काबिज होकर आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा 1/6 हक प्रार्थी का होकर अन्य सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षीगण के कब्जेयाबी का है। तथा इसी अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है।
4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या चार में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार हैं विपक्षी न तो आराजी को विकय करने पर अमादा है। ना ही कोई निर्माण कार्य करने पर अमादा हैं प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच अन्य आराजीयात को लेकर वाद न्यायालय आप में लम्बित हैं तथा इसी कारण प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से में ज्यादा हिस्सा दर्ज होने का नाजायत फायदा उठाते हुए वाद प्रस्तुत किया हैं जबकि प्रार्थी का उक्त आराजी में 1/6 हक हिस्सा होकर अन्य सम्पूर्ण आराजी विपक्षीगण के कब्जेयाबी व अधिपत्य व स्वामित्व की है। जिसके [illegible] विपक्षीगण द्वारा पृथक से वाद प्रस्तुत किया हुआ हैं। जो जैर कार्यवाही है।
5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या पांच में वर्णित तथ्य गलत [illegible] अस्वीकार हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही होकर सुविधा का सन्तुलन [illegible] क्षति भी प्रार्थी को नही होकर विपक्षीगण को है क्योंकि अगर [illegible] जाता है तो वे अपनी आराजी के सही उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगे तथा प्रार्थी विपक्षीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मिथ्या पर प्रस्तुत होने से सव्यय खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.01.2015 के अनुसार विपक्षीगण मौजा जवानसिंह जी का खेड़ा की आराजी नं. 743 रकबा 2.65 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आराजी में दखलदांजी नहीं करे न करावे। न उक्त आराजी पर निर्माण कार्य करे न करावे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested